

26-4-22

आज पत्रावली फेंक डर / वादी व वादी के  
वकील अनुपस्थित / फावली में बार-बार  
अवाज दिलवाए गए / लेकिन कोई भी उप  
नहीं आये / नही कोई सूचना ही प्राप्त हुई /  
इससे पतित होता है कि वादी को नचना  
ही नहीं चाहते हैं / अतः वादी का वाद अफस  
पैरवी अफस दायरी में खारिज किया जाता  
है / पत्रावली फेंकल इमार होकर मन्बर  
से कम हो (वाद तकमील वाखिल कपतर हो)

क/

उपस्थंड अधिकारी  
नियम (अवर) क

